

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3959]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 4, 2018/ आश्विन 12, 1940

No. 3959]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 4, 2018/ASVINA 12, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2018

का.आ. 5138(अ).— भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 262(अ), तारीख 16 जनवरी, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र, की प्रतियां जनता को तारीख 16 जनवरी, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से आक्षेपों और सुझावों प्राप्त नहीं हुए हैं;

जंगली गधा अभयारण्य 4953.712 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यह गुजरात राज्य के कच्छ, मोरबी, सुरेंद्रनगर, पाटन जिला के कुछ भागों में स्थित है।

और, यह अभयारण्य वनस्पति और जीवजन्तु के समृद्ध जैविक महत्व का प्रतिनिधित्व करता है; जंगली गधा अभयारण्य में भारतीय जंगली गधा / गूरखार (*इक्सुस हेमियोनस खूर*), काला हिरण/करियर (*एंटीलोप सर्किरारपा*), चिंकारा (*गज़ेला बेंनेटी*), धारीदार लकड़बग्घा (*हैना हैना*), भेड़िया (*कैनिस ल्यूपस*), डेजर्ट लोमड़ी (*वुलपस वल्स पुसेला*), सियार (*कैनिस ऑरियस*), भारतीय संगमरमर कीड़ा (*दत्ताफ्रीनस*), स्टेमैटिकस, कच्छी प्रॉन / झींगा (*मेटापीनियस कत्वेनसिस*) आदि का वास है। जंगली गधा अभयारण्य में पक्षी जैसे मक्रेन बस्टर्ड (*चाल्मीडोटिस मककेनिया*), व्हाइट रंप गिद्ध (*गिप्स बेंगलेंसिस*), रेगिस्तान कर्सर कैस्पियन टर्न (*हाइड्रोपोर्ने कस्पिया*), सारस क्रेन (*ग्रस एंटीगोन*), कॉमन क्रेन (*ग्रस ग्रस*), डेमोइसेल क्रेन (*ग्रस विरगो*), ऑस्ट्रे (*पांडियन हेलिएटस*), ग्रेटर फ्लेमिंगो (*फोलिकोप्पटस रोजेज*), लेसरसेम फ्लेमिंगो (*फ्रिलेकॉप्टरस माइनोर*) आदि हैं। जंगली गधा अभयारण्य में तितली, कीड़े-मकोड़े, सरीसृप की महत्वपूर्ण प्रजातियां जैसे विल स्पाइन टेलड लिजार्ड (*ऊरमास्टिक्स हार्डविकी*), डेजर्ट मॉनिटर (*वेरनस ग्रिसियस*), भारतीय फ्लैसल कछुए (*लिस्सेमीस पिक्चटाटा*), रॉक अगामा (*अगमा एसपीपी*), फैन-श्रोएटेड छिपकली (*सीताना पोंटीसीरियाना*), स्का स्केलेड वाइपर (*इचीस कार्नीटस*) आदि हैं। अभयारण्य में वनस्पति प्रजातियां मोराद (*सुएडा फ्रुटिकोसा*), उद-मोराद (*सुदा नडाइफ्लोरा*), लाना (*सुआदा मारीतिमा*),

डोलरी (एल्यूरोपस लैगोओपोइड), तल बावल (अकाकिया फार्नेसियाना), थेग (साइपरस बल्बोसस), जेन्जो (दिघंथियम अन्युलेटम), बेथु लापु (अरिस्तदा एसपीपी), गोरद (अकाकिया सेनेगल), देसी बावला (अकाकिया नीलोटिका), पिलु (सल्वादोरो प्रिसा, एस. ऑलियाँइड), लिंबडो (अज़ाडिराचल इंडिका), केडों (कपेरिस डेसिडुआस), गुंडी (कॉर्डिया घरफ) आदि हैं।

और, अभयारण्य में महत्वपूर्ण लुप्तप्राय वनस्पति और जीवजन्तु डोलरी (एल्यूरोपस लैगोओपोइड), मोराद (सुएडा फुटिकोसा), परसी (तामरीक्स टूपी), भारतीय जंगली गधे (इक्यूस हेमियोनस खुर), सारस क्रेन (ग्रस एंटीगोन) और संकटापन्न प्रजातियां विल लिक्सर फ्लेमिंगो (फोलिस्केप्टरस माइनर) और भेड़िया (कैनिस लूपस) हैं। जंगली गधा अभयारण्य की स्थानिक प्रजातियां उद मोराद (सुआदा नडाइफ्लोरा), बेथि मोराद (सुएडा फुटिकोसा), डोलरी (एल्यूरोपस लैगोओपोइड), परसी (तामरीक्स टूपी), भारतीय जंगली गधा (इक्यूस हेमियोनस खुर), कच्छी प्रॉन (मेटैपीनाईस कुत्चेनसिस) हैं।

और, अभयारण्य लुप्तप्राय भारतीय जंगली गधा (इक्यूस हेमियोनस खुर) का अंतिम आश्रय है, जो एशियाई जंगली गधे (इक्यूस हेमियोनस) की उप-प्रजाति है। एक बार इसे भारत के उत्तर-पश्चिम और पश्चिम पाकिस्तान में अच्छी तरह वितरित किया गया था। यह उत्तर में राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर और पाकिस्तान में सिंध और बलूचिस्तान तक विद्यमान था। अब, समन प्रजाति स्थानीय रूप से पहले के निवास स्थान से विलुप्त हो चुकी है और जंगली गधा अभयारण्य उनका अंतिम वास बन गया है और सरकार द्वारा किए गए संरक्षण प्रयासों के कारण उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। भारतीय जंगली गधा लिटिल रन आफ कच्छ का प्रतिनिधित्व करता है और परिदृश्य की बाकी प्रजातियों को संरक्षण देने वाली प्रमुख प्रजातियों के रूप में कार्य करता है। अभयारण्य के बड़े मांसाहारी, लकड़बग्घा और भारतीय ग्रे भेड़िया हैं। कम महत्वपूर्ण मांसाहारी प्रजातियों में मरुभूमि लोमड़ी, भारतीय लोमड़ी और मरुभूमि बिल्ली हैं जो बढ़ती मानवीय क्रियाकलापों से निरंतर खतरे में हैं। भारतीय जंगली गधा का अंतिम वास भी एक प्रस्तावित विश्व धरोहर स्थल है और कच्छ जीवमंडल रिजर्व के अंतर्गत आता है। अतः इस क्षेत्र के अन्य सभी संकटापन्न वन्यजीवों और अद्वितीय और गतिशील परिदृश्य की सुरक्षा के लिए भारतीय जंगली गधे को संरक्षित करने की तुरंत आवश्यकता है।

और, जंगली गधा अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण और पारिस्थितिकी की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों और उद्योगों के वर्गों और उनके प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुजरात राज्य में जंगली गधा अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 से 1.2 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को जंगली गधा अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात्:--

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं:—

- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन श्रेणी का विस्तार शून्य से 1.2 किलोमीटर के अंतर्गत गुजरात के कच्छ, मोरवी, सुरेन्द्रनगर और पाटन जिलों के भागों में अभयारण्य की सीमा से क्षेत्र 638.83 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है।
- (2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** के रूप में संलग्न है।
- (3) अवस्थान, भूमि उपयोग और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन और जंगली गधा अभयारण्य का मानचित्र **उपाबंध-II क, उपाबंध-II ख और उपाबंध-II ग** के रूप में संलग्न है।
- (4) इस अधिसूचना में दर्शाए गए पारिस्थितिकी संवेदी जोन और संरक्षित क्षेत्र की सीमाओं के मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांक **उपाबंध III** के रूप में संलग्न है।
- (5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** में दी गयी है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना:-

(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राजपत्र में इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करके आंचलिक महायोजना तैयार करेगी राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।

(2) जंगली गधा अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना, राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में और सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप भी और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी बातों को समाकलित करने के लिए राज्य के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज; और
- (xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में और आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचना और अधिक प्रभावी और पारिस्थितिकी अनुकूल क्रियाकलाप कारक इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हों।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं और पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यांकन करेगी और इस योजना के मानचित्र के साथ विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं का विवरण संलग्न होगा।

(7) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिकी अनुकूल विकास के लिए पैरा 4 की सारणी में सूचीबद्ध विनियमित करेगी और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध, विनियम और संवर्धित क्रियाकलापों का अनुसरण करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना के साथ सह-विस्तारी होगी।

(9) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी जिससे पारिस्थितिकी अनुकूल विकास स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन सुरक्षा के लिए सुनिश्चित किया जा सकेगा।

(10) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के अनुसार में अपने कृत्यों का पालन करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज इस प्रकार अनुमोदित करेगी।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय:—** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:—

(1) **भू-उपयोग:—**

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

(ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे कि:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,

(iv) कुटीर, उद्योग जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं जो पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक हैं जिसमें ग्रह वास सम्मिलित है; और

(v) संबर्धित क्रियाकलाप और पैरा 4 के अधीन दिया गया है:

(ग) परंतु यह और भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और अन्य नियमों और विनियमों के अंतर्गत राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

(घ) परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त गलती के संशोधन की सूचना केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।

(ङ.) परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(च) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण के और पर्यावास और जैव-विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत:—** आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुज्जीवन के लिए योजना सम्मिलित होगी राज्य सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में या उनके निकट विकास क्रियाकलापों जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक है, को प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार करेगा।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन:—**

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा राज्य के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का एक घटक होगी।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात् :-

- (i) जंगली गधा अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। परंतु, जंगली गधा अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और सैरगाहों का स्थापन केवल पूर्व परिभाषित और परिनिश्चित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;
 - (ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;
 - (iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र में किसी नए होटल/सैरगाह या वाणिज्यिक स्थापन के सन्निर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- (4) **नैसर्गिक विरासत:**—पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा और उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।
 - (5) **मानव निर्मित विरासत स्थल:**—पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी जो आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।
 - (6) **ध्वनि प्रदूषण:**—पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।
 - (7) **वायु प्रदूषण:**—पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा ।
 - (8) **बहिस्त्राव का निस्सारण:**—पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों के अन्तर्गत आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण तत्वों के निस्सारण के लिए सामान्य मानकों के उपबंधों के अनुसार होगा ।
 - (9) **ठोस अपशिष्ट:**— ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-
 - (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;
 - (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।
 - (10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट:**— जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा: —

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन:**—पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन:**—पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट:**—पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई-अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन:**—परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटरी करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण:**—वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छ ईंधन के उपयोग के लिए किए गए प्रयास उदाहरण के लिए सीएनजी, आदि हैं।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: —**

(i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के बाद या प्रकाशन में, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी भी नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में केवल गैर-प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषित कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण:** — पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची:—पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियमों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) संशोधनों सहित द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् : —

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	विवरण
(1)	(2)	(3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और बृहत खनिज), पत्थर की खानों और उनको तोड़ने की इकाइयां स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती है; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडावर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में किया जायेगा।
2.	प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि)।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योगों और विद्यमान प्रदूषणकारी उद्योगों को या उनके विस्तार को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। (ख) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जब तक कि इस अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न किया जाए, केवल नए गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
8.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी लघु अस्थायी संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और विश्राम स्थलों को अनुज्ञात किया जाएगा अन्यथा नहीं। परंतु, पारिस्थितिकी संवेदी जोन आगे या उसके विस्तार तक, जो भी निकट हो के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर से सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप होगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी:

		<p>परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी :-</p> <p>(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;</p> <p>(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण करना;</p> <p>(iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों की स्थापना;</p> <p>(iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योगों, सुविधा भण्डारों और ग्रह-वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाओं की व्यवस्था; और</p> <p>(v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप।</p> <p>(ख) परन्तु गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे।</p> <p>(ग) एक किलोमीटर क्षेत्र से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।</p>
10.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
12.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
13.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
14.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने और तार-बिछाने और अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
15.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	इसकी व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किया जाएगा।
17.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।

	आदि को उड़ाना आदि।	
18.	पर्वतीय ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
19.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
20.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होगा।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्त्राव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्त्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्त्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
22.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
23.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा और क्रियाकलाप की सख्त मानीटरी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन/ जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।

ग. संबन्धित क्रियाकलाप

29.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	अवक्रमित भूमि/वनों या वास-स्थलों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	पर्यावरणीय जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. मानीटरी समिति—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—

1.	मोरबी, सुरेंद्रनगर, पाटन और कच्छ के कलेक्टर	—अध्यक्ष;
2.	पर्यावरण, जिसके अंतर्गत (विरासत संरक्षण भी है), के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	—सदस्य;

3.	क्षेत्रीय अधिकारी, गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	—सदस्य;
4.	वन और पर्यावरण विभाग, गुजरात सरकार का एक प्रतिनिधि	—सदस्य;
5.	भारत सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ	—सदस्य;
6.	जैव विविधता विशेषज्ञ	—सदस्य;
7.	जंगली गधा अभयारण्य, वन के उप संरक्षक	—सदस्य सचिव।

6. विचारार्थ विषय : —

- (i) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।
 - (ii) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की मानीटरी करेगी।
 - (iii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।
 - (iv) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
 - (v) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संबंधित उद्यान उप वन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।
 - (vi) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
 - (vii) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपने क्रियाकलापों की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उपाबंध V में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
 - (viii) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।
7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।
8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/45/2017-ई एस जेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I**जंगली गधा अभयारण्य, गुजरात के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण****अनुसूची 'क'**

सीमा विवरण

जंगली गधा अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा रेखा पश्चिम जीआरके की सीमा, पूर्व कलाना ग्राम की सीमा, उत्तर बोरु ग्राम की सीमा में ज़ज़म ग्राम में निर्देशांक उ23° 57' 28.196" पू71° 18' 21.684" के बिंदु के साथ आरंभ होती है और दक्षिण सीमा से यह वरानासरी ग्राम से होते हुए उ23° 55' 29.409" पू71° 19' 16.578" जुड़ती है इसके बाद दक्षिण जीआरके की सीमा, पश्चिम संतलपुर ग्राम की सीमा, पूर्व चनासारा ग्राम की सीमा, पर ग्राम की सीमा में पाटन जिला में संतलपुरा तालुका के राजुसरा ग्राम में जीपीएस निर्देशांक उ23° 45' 22.948" पू71° 15' 17.438" से आरंभ होती है। इसके बाद जंगली गधा अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा रेखा संतलपुर जिला के अंतरनेश ग्राम से आरंभ होती है इसके बाद रेखा राधनपुर तालुका के विसमिल्लागंज ग्राम से होते हुए जाती है और गदसई ग्राम की दक्षिण पूर्व सीमा तक जाती है, इसके बाद रेखा अभयारण्य क्षेत्र के उत्तर पश्चिम गदसई ग्राम की सीमा, समी तालुका के पूर्व वहेदपुरा, वैद, बदरगंज की सीमा, दक्षिण की सीमा और पश्चिम अमरपुरा ग्राम की सीमा के अमरपुरा ग्राम के संतलपुरा तालुका के जीपीएस निर्देशांक उ23° 39' 5.411" पू71° 26' 25.630" से आरंभ होती है। इसके बाद जंगली गधा अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा रेखा पाटन जिला के समी तालुका के कोद्धा ग्राम से आरंभ होकर और इसके बाद रेखा संखेश्वर तालुका के जीपीएस निर्देशांक उ23° 29' 5.1313" 71° 37' 8.139" के कोद्धा कस्टम रेखा, सुबापुरा, तारानगर, सुरेल ग्राम से होते हुए जाती है यह धामा, भागलगम, विसावदी ग्राम की सीमा नागावादा ग्राम के जीपीएस निर्देशांक उ23° 21' 57.767" पू71° 42' 34.456" के फतेपुरा, वच्छाराजपुरा, ज़िजनुवदा ग्राम से मुड़ती है इसके बाद दसदा तालुका के जैनाबाद, चिकासर, पटदी ग्राम की दक्षिण पूर्व मिथागोदा, ओदु, खरगोदा ग्राम की सीमा की ओर मुड़ती है। इसके बाद जंगली गधा अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा धंगधरा तालुका के सुल्तानपुर ग्राम के देहगम ग्राम की एलआरके सीमा के दक्षिण पूर्व कोण से आरंभ होती है रेखा भरदा, ववदी, जसमतपुर ग्राम की सीमा निमकनगर, नराली के जीपीएस निर्देशांक उ23° 4' 28.871" पू 71° 28' 15.565" के थाला, मलावन, जेसदा ग्राम से होते हुए जाती है इसके बाद सीमा ईसानापुर, इनगोराला ग्राम की सीमा से होते हुए उ 23° 4' 37.271" पू 71° 13' 11.013" मलिनियाद ग्राम में दक्षिण बिंदु के जंगली गधा अभयारण्य से होते हुए रनमल पुर, घनाद ग्राम की सीमा कोपरानी, एंजर ग्राम से मुड़ती है इसके बाद रेखा मायापुर, मियानी, चढाधरा, मयूरनगर, नानागंतिला और गंतिला ग्राम की सीमा किदी, अजीत गढ़ ग्राम से होते हुए जाती है इसके बाद रेखा दक्षिण पश्चिम भाग के गंतिला और कुम्भईया ग्राम की सीमा मंदरकी ग्राम से आरंभ होती है इसके बाद रेखा खखरेची, वरदुसर, खीरायंद, मलिया ग्राम की सीमा के जीपीएस निर्देशांक उ23° 6' 14.932" पू70° 47' 59.517" की वनेसर, चिकाली और कजरादा ग्राम से होते हुए जाती है। इसके बाद जंगली गधा अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के एलआरके की सीमा जीपीएस निर्देशांक उ23° 33' 15.672" पू71° 5' 42.751" के नंद ग्राम से आरंभ होती है।

अनुसूची 'ख'

उत्तर: - ज़ाज़म, रजुसार और अंतरनेसा।

पश्चिम: - नंद।

दक्षिण: - कजरदा, चिखली, वेनासर, कुम्भरिया, तिकर, मनगढ़, अजीतगढ़, खोद, जोगद, किदी, मलिनियाद, एंजर, कोपरनी, कुदा, निराली, जेसदा, मलवान, थाला और सुल्तानपुर।

पूर्व:- गदसाई, अमरपुर, कोद्धा, सुबापुरा, तारानगर, विसनगर, सुरेल, फतेपुर, वच्छाराजापुरा, ज़िंजुवाडा, नगवाडा, मिथागोदा, चिकासर, ओदु और खरगोदा।

कच्छ जिला क्षेत्र का विवरण पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाना							
क्र. सं.	ग्राम के नाम	तालुका और जिला	कुल सर्वे सं.	ग्राम के कुल भौगोलिक क्षेत्र	अभयारण्य के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र	क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र (हेक्टेयर) घोषित किया गया	सीमाएं:
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नंद	रापर कच्छ	283	2650.96	1920.97	729.99	पूर्व: नंद बेट की सीमा पश्चिम: एलआरके की सीमा उत्तर: एलआरके की सीमा दक्षिण: एलआरके की सीमा
	कुल			2650.96	1920.97	729.99	
मोरबी जिला क्षेत्र का विवरण पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाना							
2	चिखली	मलिया (एम) मोरबी	303	3520.90	2817.96	702.94	पूर्व: चिखली ग्राम की सीमा पश्चिम: मलिया ग्राम की सीमा उत्तर: एलआरके की सीमा दक्षिण: चिरई ग्राम की सीमा
3	कजारदा	मलिया (एम) मोरबी	367	1117.10	412.89	704.21	पूर्व: चिखली ग्राम की सीमा पश्चिम: मलिया ग्राम की सीमा उत्तर: चिखली ग्राम की सीमा दक्षिण: चिरई ग्राम की सीमा
4	मंदरकी	मलिया (एम) मोरबी	239	1487.10	1042.87	444.23	पूर्व: मंदारकी और वेजलपार ग्राम की सीमा उत्तर: एलआरके की सीमा दक्षिण: घुदकोक और वेजलपार की सीमा
5	वेलासर	मलिया (एम) मोरबी	365	2579.50	1546.07	1033.43	पूर्व: जूना घटिला ग्राम की सीमा पश्चिम: मंदारकी और वेजलपार ग्राम की सीमा उत्तर: एलआरके की सीमा दक्षिण: जूना घटिला ग्राम की सीमा
6	नवा घटिला	हलवाद मोरबी	430	935.94	29.95	905.99	पूर्व: मनारकी ग्राम की सीमा पश्चिम: चिखली ग्राम की सीमा उत्तर: एलआरके की सीमा दक्षिण: खखरेची ग्राम की सीमा
							पूर्व: तिकर ग्राम की सीमा पश्चिम: जूना घटिला ग्राम की सीमा उत्तर: एलआरके की सीमा

							दक्षिण: तिकर ग्राम की सीमा
7	तिकर	हलवाद मोरबी	2108	4378.51	708.34	3670.17	पूर्व: मनगढ़, अजीतगढ़ और मियानी ग्राम की सीमा
							पश्चिम: नवाघंटिला और जूनाघंटिला ग्राम की सीमा
							उत्तर: एलआरके की सीमा
							दक्षिण: ओफचद्धा ग्राम की सीमा
8	मनगढ़	हलवाद मोरबी	949	1686.26	388.72	1297.54	पूर्व: सीमा की अजीतगढ़
							पश्चिम: तिकर ग्राम की सीमा
							उत्तर: एलआरके की सीमा
							दक्षिण: अजीतगढ़ ग्राम की सीमा
9	अजीतगढ़	हलवाद मोरबी	802	2143.83	1151.13	992.70	पूर्व: खोद और किदी ग्राम की सीमा
							पश्चिम: मनगढ़ और तिकर ग्राम की सीमा
							उत्तर: एलआरके की सीमा
							दक्षिण: मियानी और मायापुर ग्राम की सीमा
10	खोद	हलवाद मोरबी	289	855.91	0.00	855.91	पूर्व: जोगद और किदी ग्राम की सीमा
							पश्चिम: अजीतगढ़ ग्राम की सीमा
							उत्तर: एलआरके की सीमा
							दक्षिण: अजीतगढ़ ग्राम की सीमा
11	जोगद	हलवाद मोरबी	453	1343.24	182.21	1161.03	पूर्व: जोगद और किदी ग्राम की सीमा
							पश्चिम: सीमा की खोद ग्राम
							उत्तर: एलआरके की सीमा
							दक्षिण: किदी ग्राम की सीमा
12	मलनियाद	हलवाद मोरबी	960	4084.96	1605.18	2479.78	पूर्व: एंजर और धनाद ग्राम की सीमा
							पश्चिम: किदी और ईसांनपुर ग्राम की सीमा
							उत्तर: एलआरके की सीमा
							दक्षिण: मंगालुप और वेगदवाव ग्राम की सीमा
13	एंजर	हलवाद मोरबी	743	2841.24	933.73	1907.51	पूर्व: कुदा और कोपरनी ग्राम की सीमा
							पश्चिम: मलनियाद ग्राम की सीमा
							उत्तर: एलआरके की सीमा
							दक्षिण: धनद और रंतमालपुर ग्राम की सीमा
14	किदी	हलवाद मोरबी	658	1825.96	445.62	1380.34	पूर्व: मलनियाद ग्राम की सीमा
							पश्चिम: खोद और अजीतगढ़ ग्राम की सीमा
							उत्तर: एलआरके और जोगद ग्राम की सीमा
							दक्षिण: इंगोरदा और ईसांनपुर की सीमा
		कुल		28798.45	11264.67	17535.78	


पाटन जिला क्षेत्र का विवरण पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाना							
15	ज़ाज़म	संतालपुर पाटन	133	3002.16	245.16	573.23	पूर्व: कलना ग्राम की सीमा
							पश्चिम: जीआरके की सीमा
							उत्तर: बोरु ग्राम की सीमा
							दक्षिण: वरनासरी ग्राम की सीमा
							उत्तर : ज़ाज़म की सीमा
16	राजूसरा	संतालपुर पाटन	266	1026.02	625.18	519.01	पूर्व : चंसारा की सीमा
							पश्चिम : संतालपुर की सीमा
							उत्तर : पर की सीमा
							दक्षिण : जी.आर.के
17	अमरापुर	समीपाटन	295	12848.04	3557.55	9290.49	पूर्व: बदरगंग ग्राम की सीमा
							पश्चिम: एलआरके की सीमा
							उत्तर: वहीदपुर ग्राम की सीमा
							दक्षिण: कोद्धा ग्राम की सीमा
18	तारानगर	समीपाटन	291	2854.80	891.20	1963.60	पूर्व: सुबापुरा ग्राम की सीमा
							पश्चिम: एलआरके की सीमा
							उत्तर: सुबापुरा ग्राम की सीमा
							दक्षिण: विसनगर ग्राम की सीमा
19	कोद्धा	समीपाटन	341	6402.84	5143.14	1259.70	पूर्व: अमरापुर ग्राम की सीमा
							पश्चिम: एलआरके की सीमा
							उत्तर: अमरापुर ग्राम की सीमा
							दक्षिण: एलआरके की सीमा
20	सुबापुरा	समीपाटन	412	2032.06	772.56	1259.50	पूर्व: राजपुरा और कोद्धा ग्राम की सीमा
							पश्चिम: कोद्धा और एलआरके की सीमा
							उत्तर: कुंवर ग्राम की सीमा
							दक्षिण: तारानगर की सीमा
							दक्षिण: गदसाई ग्राम की सीमा
21	बिसमिल्ला गंज	राधनपुर पाटन	55	924.82	501.96	422.86	पूर्व: पेदसपुरा ग्राम की सीमा
							पश्चिम: अंतरनेश ग्राम की सीमा
							उत्तर: कारसनगढ़ ग्राम की सीमा
							दक्षिण: गदसाई ग्राम की सीमा
22	अंतरनेश	संतालपुर पाटन	261	12909.87	10228.69	2681.18	पूर्व: जोरावगंज ग्राम की सीमा
							पश्चिम: एलआरके की सीमा
							उत्तर: चानसारा ग्राम की सीमा
							दक्षिण: एलआरके की सीमा
				42000.61	21965.44	17969.57	

सुरेन्द्रानगर जिला क्षेत्र का विवरण पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाना							
क्र. सं.	ग्राम के नाम	तालुका और जिला	कुल सर्वे सं.	ग्राम के कुल भौगोलिक क्षेत्र	अभयारण्य के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र	क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र (हेक्टेयर) घोषित किया गया	सीमाएं:
23	कोपरनी	धरांगधरा सुरेन्द्रानगर	311	1206.49	618.75	587.74	पूर्व: कुदा ग्राम की सीमा
							पश्चिम: एंजर ग्राम की सीमा
							उत्तर: एलआरके की सीमा
							दक्षिण: एंजर ग्राम की सीमा
24	कुदा	धरांगधरा सुरेन्द्रानगर	467	2480.85	972.59	1508.26	पूर्व: निमकनगर और नराली ग्राम की सीमा
							पश्चिम: कोपरनी और एंजर ग्राम की सीमा
							उत्तर: एलआरके की सीमा
							दक्षिण: कंकावती और जसमतपुर ग्राम की सीमा
25	निमकनगर	धरांगधरा सुरेन्द्रानगर	77	469.16	246.26	222.9	पूर्व: निराली ग्राम की सीमा
							पश्चिम: कुदा ग्राम की सीमा
							उत्तर: एलआरके की सीमा
							दक्षिण: कुदा ग्राम की सीमा
26	जसदा	धरांगधरा सुरेन्द्रानगर	576	2428.81	903.67	1525.14	पूर्व: मलवान ग्राम की सीमा
							पश्चिम: निराली ग्राम की सीमा
							उत्तर: एलआरके की सीमा
							दक्षिण: सज्जनपुर और विरेन्द्रगढ़ ग्राम की सीमा
27	निराली	धरांगधरा सुरेन्द्रानगर	635	2607.04	1027.03	1580.01	पूर्व: जेसदा ग्राम की सीमा
							पश्चिम: निमकनगर और कुदा ग्राम की सीमा
							उत्तर: एलआरके की सीमा
							दक्षिण: विरेन्द्रगढ़ ग्राम की सीमा
28	मलवान	धरांगधरा सुरेन्द्रानगर	1216	4194.12	823.96	3370.16	पूर्व: थाला और निराली ग्राम की सीमा
							पश्चिम: जेसदा और सज्जनपुर ग्राम की सीमा
							उत्तर: एलआरके की सीमा
							दक्षिण: वावदी ग्राम की सीमा
29	थाला	धरांगधरा सुरेन्द्रानगर	1454	4094.47	1313.13	2781.34	पूर्व: सुल्तानपुर ग्राम की सीमा
							पश्चिम: मलवान ग्राम की सीमा
							उत्तर: एलआरके की सीमा
							दक्षिण: भरदा ग्राम की सीमा
30	सुल्तान पुर	धरांगधरा सुरेन्द्रानगर	362	1197.32	280.38	916.94	पूर्व: देगम ग्राम की सीमा
							पश्चिम: थादा ग्राम की सीमा
							उत्तर: एलआरके की सीमा
							दक्षिण: भरदा ग्राम की सीमा
31	ओदु	दसदा	937	9277.54	7081.08	2196.46	पूर्व: चिकासर और खारघोद ग्राम की सीमा

		सुरेन्द्रानगर					पश्चिम: एलआरके की सीमा उत्तर: एलआरके और मिथाघोदा ग्राम की सीमा दक्षिण: एलआरके की सीमा
32	मिथाघोदा	दसदा सुरेन्द्रानगर	440	1487.74	407.11	1080.63	पूर्व: मुलाद एवं चिकासर ग्राम की सीमा पश्चिम: एलआरके की सीमा उत्तर: एलआरके एवं मिथाघोदा ग्राम की सीमा दक्षिण: एलआरके की सीमा
33	नगवाडा	दसदा सुरेन्द्रानगर	877	4250.46	888.16	3362.30	पूर्व: विसावदी एवं जिनाबाद ग्राम की सीमा पश्चिम: जंजुवाडा ग्राम की सीमा उत्तर: विशावदी एवं धामा ग्राम की सीमा दक्षिण: मिथाघोदा ग्राम की सीमा
34	जंजुवाडा	दसदा सुरेन्द्रानगर	785	6281.16	3626.21	2654.95	पूर्व: धामा एवं नगवाडा ग्राम की सीमा पश्चिम: एलआरके की सीमा उत्तर: फतेहपुर एवं वच्छाराजापुर ग्राम की सीमा दक्षिण: नगवाडा एवं एलआरके की सीमा
35	बचराजपुर	दसदा सुरेन्द्रानगर	87	787.36	365.96	421.40	पूर्व: फतेपुर ग्राम की सीमा पश्चिम: जंजुवाडा ग्राम की सीमा उत्तर: फतेपुर की सीमा दक्षिण: एलआरके की सीमा
36	फतेपुर	दसदा सुरेन्द्रानगर	522	1870.64	426.02	1444.62	पूर्व: धामा ग्राम की सीमा पश्चिम: वच्छाराजापुर ग्राम की सीमा उत्तर: सुरेल ग्राम की सीमा दक्षिण: जंजुवाडा ग्राम की सीमा
37	सुरेल	दसदा सुरेन्द्रानगर	778	4897.64	1510.67	3386.97	पूर्व: रोजवा एवं नवापुर ग्राम की सीमा पश्चिम: विसनगर ग्राम की सीमा उत्तर: सुबापुरा एवं राजपुरल ग्राम की सीमा दक्षिण: फतेपुर ग्राम की सीमा
38	विसनगर	दसदा सुरेन्द्रानगर	153	1833.82	1225.20	608.62	पूर्व: सुरेल ग्राम की सीमा पश्चिम: एलआरके की सीमा उत्तर: तारानगर ग्राम की सीमा दक्षिण: एलआरके ग्राम की सीमा
कुल				49364.62	21716.18	27648.44	


उपाबंध - IIक

मुख्य अवस्थानों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के जंगली गधा अभयारण्य का मानचित्र




उपाबंध - IIख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के जंगली गधा अभयारण्य का भूमि उपयोग मानचित्र



उपाबंध - IIग

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के जंगली गध्या अभयारण्य का जीआईएस मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क: जंगली गद्या अभयारण्य के अक्षांश देशांतर के मुख्य अवस्थान

क्र.सं.	मुख्य बिंदुओं की पहचान	मुख्य बिंदुओं के स्थान/दिशाएं	अक्षांश (डीएमएस प्रारूप)	देशांतर (डीएमएस प्रारूप)
1	1	उत्तर	24° 39' 37.481" उ	71° 20' 52.965" पू
2	2	उत्तर	24° 37' 4.441" उ	71° 21' 45.703" पू
3	3	उत्तर	24° 30' 44.105" उ	71° 21' 54.623" पू
4	4	उत्तर	24° 29' 22.903" उ	71° 21' 38.035" पू
5	5	उत्तर	24° 28' 31.000" उ	71° 22' 6.832" पू
6	6	उत्तर	24° 26' 33.302" उ	71° 20' 55.714" पू
7	7	उत्तर	24° 26' 22.907" उ	71° 20' 57.020" पू
8	8	उत्तर	24° 24' 21.776" उ	71° 21' 22.672" पू
9	9	उत्तर	24° 24' 17.177" उ	71° 23' 48.616" पू
10	10	उत्तर	24° 23' 44.480" उ	71° 23' 24.825" पू
11	11	उत्तर	24° 18' 59.852" उ	71° 20' 55.680" पू
12	12	उत्तर	24° 9' 45.572" उ	71° 17' 24.026" पू
13	13	उत्तर	24° 6' 3.996" उ	71° 19' 37.341" पू
14	14	उत्तर	24° 5' 15.950" उ	71° 19' 27.366" पू
15	15	उत्तर	24° 4' 30.374" उ	71° 19' 12.155" पू
16	16	उत्तर	24° 3' 19.437" उ	71° 18' 34.516" पू
17	17	उत्तर	24° 2' 36.422" उ	71° 19' 47.559" पू
18	18	उत्तर	24° 0' 53.854" उ	71° 19' 14.415" पू
19	19	उत्तर	24° 0' 14.107" उ	71° 20' 52.654" पू
20	20	उत्तर	23° 59' 2.563" उ	71° 19' 16.104" पू
21	21	उत्तर	23° 56' 54.913" उ	71° 18' 23.809" पू
22	22	उत्तर	23° 55' 29.409" उ	71° 19' 16.578" पू
23	23	उत्तर	23° 54' 52.593" उ	71° 17' 27.397" पू
24	24	उत्तर	23° 54' 16.921" उ	71° 16' 36.726" पू
25	25	उत्तर	23° 53' 51.722" उ	71° 14' 2.286" पू
26	26	उत्तर	23° 51' 15.180" उ	71° 11' 15.745" पू
27	27	उत्तर	23° 46' 2.042" उ	71° 11' 45.309" पू
28	28	उत्तर	23° 45' 26.308" उ	71° 15' 14.990" पू
29	29	उत्तर-पूर्व	23° 42' 39.320" उ	71° 21' 4.613" पू
30	30	उत्तर-पूर्व	23° 37' 14.469" उ	71° 23' 29.653" पू
31	31	उत्तर-पूर्व	23° 32' 1.988" उ	71° 35' 54.731" पू
32	32	पूर्व	23° 18' 27.378" उ	71° 44' 1.705" पू
33	33	पूर्व	23° 9' 55.301" उ	71° 43' 27.171" पू
34	34	दक्षिण-पूर्व	23° 5' 37.065" उ	71° 49' 42.271" पू

35	35	दक्षिण-पूर्व	23° 4' 59.488" उ	71° 39' 50.744" पू
36	36	दक्षिण	23° 6' 35.196" उ	71° 26' 53.595" पू
37	37	दक्षिण	23° 5' 37.457" उ	71° 14' 7.725" पू
38	38	दक्षिण	23° 9' 28.279" उ	71° 4' 8.686" पू
39	39	दक्षिण-पश्चिम	23° 5' 46.287" उ	70° 49' 54.588" पू
40	40	दक्षिण-पश्चिम	23° 8' 24.680" उ	70° 45' 41.084" पू
41	41	दक्षिण-पश्चिम	23° 4' 48.878" उ	70° 39' 10.479" पू
42	42	दक्षिण-पश्चिम	22° 59' 19.813" उ	70° 33' 24.723" पू
43	43	दक्षिण-पश्चिम	22° 55' 46.010" उ	70° 31' 51.090" पू
44	44	दक्षिण-पश्चिम	22° 57' 47.878" उ	70° 26' 46.978" पू
45	45	दक्षिण-पश्चिम	23° 13' 10.787" उ	70° 42' 41.539" पू
46	46	दक्षिण-पश्चिम	23° 11' 19.957" उ	70° 38' 51.445" पू
47	47	दक्षिण-पश्चिम	23° 12' 46.039" उ	70° 25' 37.391" पू
48	48	दक्षिण-पश्चिम	23° 13' 23.615" उ	70° 12' 30.377" पू
49	49	दक्षिण-पश्चिम	23° 20' 1.710" उ	70° 24' 17.410" पू
50	50	दक्षिण-पश्चिम	23° 16' 3.045" उ	70° 35' 4.547" पू
51	51	दक्षिण-पश्चिम	23° 17' 2.436" उ	70° 42' 59.522" पू
52	52	पश्चिम	23° 24' 58.378" उ	70° 46' 33.538" पू
53	53	पश्चिम	23° 22' 3.664" उ	70° 58' 38.919" पू
54	54	पश्चिम	23° 29' 50.373" उ	70° 58' 57.379" पू
55	55	पश्चिम	23° 34' 47.842" उ	70° 53' 22.915" पू
56	56	पश्चिम	23° 39' 48.227" उ	70° 46' 41.799" पू
57	57	उत्तर-पश्चिम	23° 45' 19.916" उ	70° 47' 58.266" पू
58	58	उत्तर-पश्चिम	23° 52' 24.691" उ	70° 51' 37.259" पू
59	59	उत्तर-पश्चिम	23° 44' 13.150" उ	70° 54' 25.355" पू
60	60	उत्तर-पश्चिम	23° 40' 41.382" उ	71° 0' 48.758" पू
61	61	उत्तर-पश्चिम	23° 42' 41.215" उ	71° 3' 37.690" पू
62	62	उत्तर-पश्चिम	23° 48' 17.701" उ	71° 2' 13.054" पू
63	63	उत्तर-पश्चिम	23° 54' 10.212" उ	71° 5' 49.523" पू
64	64	उत्तर	23° 56' 9.005" उ	71° 13' 12.859" पू
65	65	उत्तर	24° 0' 14.367" उ	71° 17' 33.891" पू
66	66	उत्तर	24° 12' 42.599" उ	71° 11' 18.286" पू
67	67	उत्तर	24° 16' 29.871" उ	71° 8' 3.316" पू
68	68	उत्तर	24° 14' 44.670" उ	71° 12' 29.498" पू
69	69	उत्तर	24° 26' 40.519" उ	71° 19' 8.571" पू
70	70	उत्तर	24° 31' 3.576" उ	71° 20' 36.912" पू

सारणी क : पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अक्षांश देशांतर के मुख्य अवस्थान

क्र.सं.	मुख्य बिंदुओं की पहचान	मुख्य बिंदुओं के स्थान/दिशाएं	अक्षांश (उत्तर) (डीएमएस प्रारूप)	देशांतर (पूर्व) (डीएमएस प्रारूप)
1	1	उत्तर	23° 57' 30.561" उ	71° 18' 16.789" पू
2	2	उत्तर	23° 56' 12.588" उ	71° 20' 16.879" पू
3	3	उत्तर	23° 45' 52.148" उ	71° 14' 55.535" पू
4	4	उत्तर-पूर्व	23° 40' 23.515" उ	71° 21' 31.208" पू
5	5	उत्तर-पूर्व	23° 39' 52.938" उ	71° 24' 23.427" पू
6	6	उत्तर-पूर्व	23° 35' 58.685" उ	71° 28' 45.480" पू
7	7	पूर्व	23° 31' 54.160" उ	71° 36' 10.172" पू
8	8	पूर्व	23° 26' 11.060" उ	71° 37' 43.985" पू
9	9	पूर्व	23° 22' 6.385" उ	71° 42' 28.992" पू
10	10	पूर्व	23° 19' 4.519" उ	71° 45' 26.240" पू
11	11	दक्षिण-पूर्व	23° 12' 29.447" उ	71° 43' 58.699" पू
12	12	दक्षिण-पूर्व	23° 5' 36.216" उ	71° 37' 12.407" पू
13	13	दक्षिण-पूर्व	23° 3' 31.386" उ	71° 31' 55.827" पू
14	14	दक्षिण	23° 6' 29.887" उ	71° 28' 21.943" पू
15	15	दक्षिण	23° 5' 29.792" उ	71° 24' 26.610" पू
16	16	दक्षिण	23° 4' 33.070" उ	71° 13' 17.648" पू
17	17	दक्षिण	23° 5' 47.450" उ	71° 4' 29.763" पू
18	18	दक्षिण-पश्चिम	23° 7' 5.768" उ	70° 55' 36.277" पू
19	19	दक्षिण-पश्चिम	23° 6' 13.440" उ	70° 48' 0.396" पू

उपाबंध-IV

जंगली गधा अभयारण्य, गुजरात के पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्राम की सूची एवं जीपीएस बिंदु

क्र. सं.	ग्राम के नाम	तलसील/तालुका	जिला	अक्षांश (उ) (डीएमएस प्रारूप)	देशांतर (पू) (डीएमएस प्रारूप)
1	नंद	रापर	कच्छ	23°33' 39.839" उ	71° 6' 25.805" पू
2	रजुसरा	संथालपुर	पाटन	23°45' 8.115" उ	71°14' 8.084" पू
3	कोद्धा	समी	पाटन	23°33' 8.075" उ	71°29' 59.206" पू
4	सुबापुरा	समी	पाटन	23°31' 38.412" उ	71° 35' 40.241" पू
5	तारानगर	समी	पाटन	23°31' 2.984" उ	71°34' 15.877" पू
6	विसमिल्लागंज	राधनपुर	पाटन	2°39' 21.992" उ	71°24' 3.010" पू

7	अंतरनेस	संथालपुर	पाटन	23°41' 52.090" उ	71°18' 57.202" पू
8	जाज़म	संथालपुर	पाटन	23°56' 34.033" उ	71°20' 4.842" पू
9	अमरापुर	समी	पाटन	23°35' 42.144" उ	71° 27' 6.004" पू
10	वेनसार	मलिया	मोरबी	23°9' 13.379" उ	70° 55' 20.750" पू
11	मनदारकी	मलिया	मोरबी	23°9' 6.086" उ	70°59' 13.230" पू
12	कजारदा	मलिया	मोरबी	23° 7' 11.312" उ	70°48' 14.325" पू
13	चिखली	मलिया	मोरबी	23°6' 15.665" उ	70°52' 4.312" पू
14	अजीतगढ़	हलवाद	मोरबी	23°8' 19.537" उ	71°7' 41.756" पू
15	खोद	हलवाद	मोरबी	23°9' 6.432" उ	71°9' 6.287" पू
16	एंजर	हलवाद	मोरबी	23° 8' 30.630" उ	71° 17' 31.848" पू
17	जोगद	हलवाद	मोरबी	23° 9' 19.259" उ	71° 12' 33.081" पू
18	किदी	हलवाद	मोरबी	23°7' 31.958" उ	71°12' 27.365" पू
19	मलानियाद	हलवाद	मोरबी	23°7' 12.769" उ	71° 15' 37.834" पू
20	मनगढ़	हलवाद	मोरबी	23° 9' 20.799" उ	71° 7' 4.260" पू
21	तिकर	हलवाद	मोरबी	23° 8' 17.257" उ	71° 6' 2.520" पू
22	नवाघटिला	हलवाद	मोरबी	23°9' 6.914" उ	71° 3' 51.706" पू
23	जेसदा	धरांगधरा	सुरेन्द्रानगर	23°6' 42.579" उ	71° 28' 14.524" पू
24	कोपरनी	धरांगधरा	सुरेन्द्रानगर	23° 9' 22.878" उ	71°19' 33.601" पू
25	कुदा	धरांगधरा	सुरेन्द्रानगर	23°8' 9.994" उ	71°22' 55.670" पू
26	मलवान	धरांगधरा	सुरेन्द्रानगर	23° 5' 36.492" उ	71°31' 53.923" पू
27	निराली	धरांगधरा	सुरेन्द्रानगर	23° 6' 46.886" उ	71° 25' 19.550" पू
28	निमकनगर	धरांगधरा	सुरेन्द्रानगर	23° 8' 19.585" उ	71°23' 49.880" पू
29	सुल्तानपुर	धरांगधरा	सुरेन्द्रानगर	23° 7' 38.211" उ	71°36' 12.736" पू
30	थाला	धरांगधरा	सुरेन्द्रानगर	23°6' 16.591" उ	71° 33' 55.418" पू
31	फतेपुर	दसदा	सुरेन्द्रानगर	23° 24' 7.525" उ	71°37' 48.441" पू
32	मिथाघोदा	दसदा	सुरेन्द्रानगर	23°16' 19.710" उ	71° 42' 20.115" पू
33	ओदु	दसदा	सुरेन्द्रानगर	23°13' 50.521" उ	71° 41' 40.418" पू
34	वच्छराजपुरा	दसदा	सुरेन्द्रानगर	23°23' 16.957" उ	71° 36' 2.370" पू
35	विसनगर	दसदा	सुरेन्द्रानगर	23°27' 54.618" उ	71°34' 0.607" पू
36	सुरेल	दसदा	सुरेन्द्रानगर	23°28' 45.536" उ	71°37' 8.434" पू
37	जिंजुवाड़	दसदा	सुरेन्द्रानगर	23°21' 11.922" उ	71°39' 13.053" पू
38	नगवाडा	दसदा	सुरेन्द्रानगर	23°19' 35.085" उ	71°42' 41.410" पू

उपाबंध –V

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रपत्र.-

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2018

S.O. 5138(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary vide, notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, number S.O.262(E), dated the 16th January, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 16th January, 2018;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from the public and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Wild Ass Sanctuary is spread over an area of **4953.712 square kilometer** and located in parts of Kachchh, Morbi, Surendranagar and Patan districts in the State of Gujarat;

AND WHEREAS, the flora and fauna represent rich biological significance of this Sanctuary; the Wild Ass Sanctuary is habitat of Indian Wild Ass/Gurkhar (*Equus hemionus khur*), Black buck/kariyar (*Antelope cervicarpa*), Chinkara (*Gazella bennettii*), Striped Hyena (*Hyaena hyaena*), Wolf (*Canis lupus*), Desert Fox (*Vulpus vulpus pusilla*), Jackal (*Canis aureus*), Indian marbled toad (*Duttaphrynus, stomaticus*), Kutchi prawn/Jhinga (*Metapenaeus kutchensis*) etc; the Birds in the Wild Ass Sanctuary are Macqueen's bustard (*Chalmydotis macqueenii*), White-rumped vulture (*Gyps bengalensis*), desert courser Caspian tern (*Hydroprogne caspia*), Sarus crane (*Grus antigone*), Common Crane (*Grus grus*), Demoiselle crane (*Grus virgo*), Osprey (*Pandion haliaetus*), Greater Flamingo (*Phoenicopterus roseus*), Lesser Flamingo (*Phoenicopterus minor*) etc, while Spiney tailed lizard (*Uromastix hardwickii*), Desert monitor (*Veranus griseus*), Indian flapshell turtle *Lissemys punctata*, Rock agama (*Agama spp.*), Fan-throated lizard (*Sitana ponticeriana*), Saw scaled viper (*Echis carinatus*) etc. are the important species of butterfly, insects, reptiles in the Wild Ass Sanctuary; the flora species available in the Sanctuary are Morad (*Sueda fruticosa*), Ud-morad

(*Sueda nudiflora*), Lana (*Sueda maritima*), Dolri (*Aeluropus lagopoides*), Tal baval (*Acacia farnesiana*), Theg (*Cyperus bulbosus*), Jhenjvo (*Dichanthium annulatum*), Bethu lapdu (*Aristida spp.*), Gorad (*Acacia senegal*), Desi baval (*Acacia nilotica*), Pilu (*Salvadora persica*, *S. oleoids*), Limbdo (*Azadirachta indica*), Kerdo (*Capparis deciduas*), Gundee (*Cordia gharaf*) etc;

AND WHEREAS, Dolri (*Aeluropus lagopoides*), Morad (*Sueda fruticosa*), Parasi (*Tamarix troupii*, Indian Wild Ass (*Equus hemionus khur*), Sarus crane (*Grus antigone*) are the important Endangered flora and fauna of the Sanctuary, while Lesser Flamingo (*Phoenicopterus minor*) and Wolf (*Canis lupus*) are the threatened species; Uud morad (*Sueda nudiflora*), Bethi morad (*Sueda fruticosa*), Dolri (*Aluopus lagopoides*), Parasi (*Tamarix troupii*), Indian Wild Ass (*Equus hemionus khur*), Kutchi prawn (*Metapenaeus kutchensis*) are the endemic species of Wild Ass Sanctuary;

AND WHEREAS, the Sanctuary is the last refuge of the endangered Indian Wild Ass (*Equus hemionus khur*), which is a sub-species of Asiatic Wild Ass (*Equus hemionus*) and once it was distributed well across the north-west of India and West Pakistan; They existed as far north as Jaisalmer and Bikaner in Rajasthan and Sind and Beluchistan in Pakistan; now, the equin species have been locally extinct from all its earlier habitats and the Wild Ass Sanctuary has become their last home where their population is thriving under the conservation efforts made by the government; the Indian Wild Ass is representing the Little Rann of Kuchchh landscape and acting as a flagship species giving protection umbrella to the rest of the species of the landscape; Hyena and Indian Grey Wolf are the large carnivores of the Sanctuary; Desert Fox, Indian Fox and Desert Cat are among the important lesser carnivore species which are under continuous threat from the increasing human activities; the last home of Indian Wild Ass is also a proposed World Heritage site and comes under Kutch Biosphere Reserve, therefore, it is the urgent need to conserve the Indian Wild Ass to protect the unique and dynamic landscape and all other threatened wildlife of this region;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification, around the protected area of Wild Ass Sanctuary, as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-Sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent from **zero to 1.2 kilometers** around the boundary of the Wild Ass Sanctuary in the State of Gujarat as Wild Ass Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of Eco-Sensitive Zone. -

- (1) The extent of Eco-Sensitive Zone range from **zero to 1.2 kilometers** consisting of an area of **638. 83 square kilometer** from the boundary of the Sanctuary in the parts of Kachchh, Morbi, Surendranagar and Patan districts in the State of Gujarat.
- (2) The boundary description of the Eco-Sensitive Zone is appended as **Annexure I**.
- (3) The map of Wild Ass Sanctuary and Eco-Sensitive Zone along with location, land use and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-II A, Annexure-II B and Annexure-II C**.
- (4) The geo-coordinates showing prominent points of the boundaries of Protected Area and Eco-Sensitive Zone are appended to this notification as **Annexure III**.
- (5) The list of villages falling in the in Eco-Sensitive Zone area in given at **Annexure IV**.

2. Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone. -

- i. The State Government shall, for the purpose of the Eco-Sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.

- ii. The Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone of Wild Ass Sanctuary shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
 - iii. The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said Plan, namely: -
 - (a) Environment;
 - (b) Forest and Wildlife;
 - (c) Agriculture;
 - (d) Revenue;
 - (e) Urban Development;
 - (f) Tourism;
 - (g) Rural Development;
 - (h) Irrigation and Flood Control;
 - (i) Municipal;
 - (j) Panchayati Raj;
 - (k) Public Works Department.
 - iv. The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
 - v. The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
 - vi. The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps and the Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.
 - vii. The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-Sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.
 - viii. The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
 - ix. The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-Sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.
 - x. The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
- 3. Measures to be taken by State Government** - The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely: -
- (1) Land use. –**
- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-Sensitive Zone of shall not be used or converted into areas for commercial or residential complex or industrial activities;

- (b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-Sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:
- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
 - (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
 - (iii) small scale industries not causing pollution;
 - (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
 - (v) promoted activities and given under paragraph 4.
- (c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007);
- (d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-Sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change;
- (e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph;
- (f) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.
- (2) Natural water bodies.** -The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) Tourism/ Eco-tourism**
- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-Sensitive Zone.
 - (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
 - (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
 - (d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely: -
 - (i) no new construction of hotels and resorts shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Wild Ass Sanctuary or upto the extent of the Eco Sensitive Zone, whichever is nearer; Provided that, beyond the distance of one kilometer from the boundary of the Wild Ass Sanctuary till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.
 - (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

- (iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-Sensitive Zone area.
- (4) **Natural heritage.** - All sites of valuable natural heritage in the Eco-Sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.** - Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.** - Prevention and Control of noise pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.
- (7) **Air pollution.** - Prevention and control of air pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.
- (8) **Discharge of effluents.** - Discharge of treated effluent in Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.** - Disposal and management of solid wastes shall be as under: -
- (a) the solid waste disposal and management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-Sensitive Zone.
- (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.
- (10) **Bio-medical waste.** – Bio medical waste management shall be as under:
- (a) The bio-medical waste disposal in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.
- (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.
- (11) **Plastic waste management.** - The plastic waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) **Construction and demolition waste management.** - The construction and demolition waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

- (13) **E-waste.** - The E- Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic.** – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) **Vehicular pollution.** - Prevention and control of vehicular pollution shall be carried out in accordance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.
- (16) **Industrial units.** –
- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.
- (ii) Only non-polluting industries shall be permitted within Eco-Sensitive Zone as per classification of industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless otherwise specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) **Protection of hill slopes.** – The protection of hill slopes shall be as under:-
- (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
- (b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-Sensitive Zone. –

All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S No	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining.	(a) All new existing and mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.

2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	(a) No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted. (b) Only non-polluting industries shall be permitted within Eco-sensitive Zone as per classification of industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless otherwise specified in this notification.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
B. Regulated Activities		
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities. Beyond one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-Sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents : (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including homestays; and (v) Promoted activities listed in this Notification. (b) Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall

		be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
11.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, companies, etc .	Regulated (except as otherwise provided) as per applicable laws.
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
13.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
15.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulations and available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulations and available guidelines.
17.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable laws.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated, for commercial purpose, under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
21.	Discharge of treated waste water/effluents in natural	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be

	water bodies or land area.	made for recycle and reuse of treated waste water, and the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
23.	Open well, bore well etc, for agriculture or other usage	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
24.	Solid waste management.	Regulated under applicable laws.
25.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted.
34.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Plantation of horticulture and herbals.	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
37.	Skill development	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental awareness	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee .- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this Notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of the following, namely: -

1.	Collector of Morbi, Surendranagar, Patan and Kutchh	Chairman
2.	A representative of Non-Governmental Organisation working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the State Government	Member
3.	Regional Officer, Gujarat State Pollution Control Board	Member
4.	A representative of the Department of Forest and Environment, Government of Gujarat	Member
5.	One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the State Government	Member
6.	Member State Biodiversity Board	Member
7.	Deputy Conservator of Forest, Wild Ass Sanctuary	Member-Secretary

6. Terms of Reference. –

- (1) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government, and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.
- (2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma given in Annexure V.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to the provisions of this notification.

8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/45/2017-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I**BOUNDARY DESCRIPTION FOR ECO-SENSITIVE ZONE OF WILD ASS SANCTUARY
GUJARAT****SCHEDULE 'A'****Boundary Description**

The boundary line of the Eco-Sensitive Zone of Wild Ass Sanctuary starts from a point with coordinates N23° 57' 28.196" E71° 18' 21.684" in the Zizam village. in the border of north Boru village, border of East Kalana village border of west GRK and border of South it joins the Varanasari village via N23° 55' 29.409" E71° 19' 16.578" then start the GPS coordinates N 23° 45' 22.948" E71° 15' 17.438" in the Rajusara Village Santalapura taluka in Patan District in the border of Par village, border of East Chanasara village, border of west Santalpur village, border of South

GRK. Then The boundary line of the Eco-Sensitive Zone of Wild Ass Sanctuary starts from Santalpur District of Atarnes village then the line runs through the Radhanpur taluka of Bismillaganj village and closed at south east border of Gadsai village, then start the line Santalpur taluka of GPS coordinates N23° 39' 5.411" E71° 26' 25.630" of Amarpur village border of north west Gadsai village, border of east Vahedpura, Ved, Badarganj of Sami Taluka border of south and border of west Amarpura village sanctuary area. then the boundary line of Eco sensitive Zone of Wild Ass sanctuary start from the Kodadha village of sami Taluka of Patan district and of then line runs through the Kodadha costom line, Subapura, Taranagar, Surel village of GPS coordinates N23° 29' E51.313" 71° 37' 8.139" Sankheswar Taluka it turn takes a Fatepura, Vachharajpura, Zinzuvada village of GPS coordinates N23° 21' 57.767" E71° 42' 34.456" ,Nagavada village border of Dhama, Bhagalgam, Visavadi village then the turn of south east Mithagoda, Odu, Kharagodha village border of Jainabad, Chikasar, patadi village of Dasada taluka then line of the Eco-Sensitive Zone of Wild Ass Sanctuary starts from a south east corner of LRK boundry of Dehgam village of Dhangdhra Taluka of Sulatanpur village line runs through the Thala, Malavan, Jesada village of GPS coordinates N23° 4' 28.871" E 71° 28' 15.565" Nimaknagar, Narali, village border of Bharada, Vavadi, Jasamat pur village then tha boundry turn the Koparani, Enjar village border of Ranamalpur, Ghanad village pass out the wild Ass sanctuary south point in Malaniyad village via N 23° 4' 37.271" E 71° 13' 11.013" border of Isanapur, Ingorala village then line runs through the Kidi, Ajitgadh Tikar, village borade of Mayapur, Miyani, Chadadhra, Mayuranagar, Nana Gantila and Gantila village then line start from Mandarki village border of Gantila and kumbhariya village south west side then line runs through the Venasar, Chikali and Kajarada Village of GPS coordinates N23° 6' 14.932" E70° 47' 59.517" border of Khakharechi, Vardusar, Khiraiand, Maliya village. Then the Eco-Sensitive Zone of Wild Ass Sanctuary starts from a Nanda village of GPS coordinates N 23° 33' 15.672" E 71° 5' 42.751" border of LRK.

SCHEDULE 'B'

North: - Zazam, Rajusar and Antarnes.

West: - Nanda.

South: -Kajarada, Chikhli, Venasar, kumbhariya, Tikar, Mangadh, Ajitgadh, Khod, Jogad, Kidi, Malaniyad, Enjar, Koparani, Kuda, Narali, Jesada, Malavan, Thala and Sulatanpur.

East: - Gadsai, Amarpur, Kodadha, Subapura, Taranagar, Visanagar, Surel, Fatepur, Vachharajpura, Zinzuvada, Nagavada, Mithagoda, Chikasar, Odu and Kharagoda.

Details of Kutch district area to be declared as Eco-sensitive Zone.							
Sr. No.	Name of village	Taluka and district	Total survey no.	Total geographical area of the village	Area falls under sanctuary	Area to be declared as a eco Sensitive area(Hactare)	Boundaries:
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nanda	Rapar Kachchh	283	2650.96	1920.97	729.99	East::Boundary of Nanda bet West: Boundary of LRK North: Boundary of LRK South: Boundary of LRK
	Total			2650.96	1920.97	729.99	
Ditails of Morbi district area to be declared as Eco-sensitive Zone							
2	Chikhali	Maliya (M) Morbi	303	3520.90	2817.96	702.94	East: Boundary of Chikhli village West: Boundary of Maliya village North: Boundary of LRK South: Boundary of chirai village
3	Kajarda	Maliya (M) Morbi	367	1117.10	412.89	704.21	East: Boundary of chikhali village West: Boundary of maliya village North:Boundary of chikhali village South: Boundary of chirai village West:Boundary of mandarki and vejalpar village


							North: Boundary of LRK
							South: Boundary of ghudkok and vejalpar
4	Mandarki	Maliya (M) Morbi	239	1487.10	1042.87	444.23	East: Boundary of juna ghatila village
							West: Boundary of venasar village
							North:Boundary of LRK
							South: Boundary of juna ghatila village
5	Venasar	Maliya (M) Morbi	365	2579.50	1546.07	1033.43	East: Boundary of manarki village
							West: Boundary of chikhali village
							North: Boundary of LRK
							South: Boundary of khakhrechi village
6	Nava Ghanhantila	Halvad Morbi	430	935.94	29.95	905.99	East: Boundary of Tikar village
							West: Boundary of Junaghantila village
							North: Boundary of LRK
							South: Boundary of Tikar village
7	Tikar	Halvad Morbi	2108	4378.51	708.34	3670.17	East: Boundary of Mangadh, AjitgadhandMiyani village
							West: Boundary of navaghantila and Junaghantila village
							North: Boundary of LRK
							South:Boundary of fchaddha village
8	Mangadh	Halvad Morbi	949	1686.26	388.72	1297.54	East: Boundary of Ajitgadhand
							West: Boundary of Tikar village
							North: Boundary of LRK
							South:Boundary of Ajitgadhand village
9	Ajitgrah	Halvad Morbi	802	2143.83	1151.13	992.70	East:Boundary of Khod and Kidi village
							West:Boundary of mangadh and Tikar village
							North:Boundary of LRK
							South:Boundary of Miyani and Mayapur villag
10	Khod	Halvad Morbi	289	855.91	0.00	855.91	East:Boundary of JogadandKidi village
							West:Boundary of Ajitgadhand village
							North:Boundary of LRK
							South:Boundary of Ajitgadhand village
11	Jogad	Halvad Morbi	453	1343.24	182.21	1161.03	East:Boundary of JogadandKidi village
							West:Boundary of khod village
							North:Boundary of LRK
							South:Boundary of Kidi village
12	Malniyad	Halvad Morbi	960	4084.96	1605.18	2479.78	East:Boundary of Enjaranddhanad village
							West:Boundary of KidiandIsanpur village
							North:Boundary of LRK
							South:Boundary of Mangalpurandvegadvav village
13	Enjar	Halvad Morbi	743	2841.24	933.73	1907.51	East:Boundary of KudaandKoparni village
							West:Boundary of Malniyad village
							North:Boundary of LRK
							South:Boundary of DhanadandRanmalpur village
14	Kidi	Halvad Morbi	658	1825.96	445.62	1380.34	East:Boundary of malniyad village
							West:Boundary of KhodandAjitgadhand
							North:Boundary of LRKandJogad village
							South:Boundary of IngoradaandIsanpur

		Total	28798.45	11264.67	17535.78		
Details of Patan district area to be declared as Eco-sensitive Zone							
15	Zazam	Santalpur Patan	133	3002.16	245.16	573.23	East: Boundary of kalana village West:Boundary of GRK North:Boundary of boru village South:Boundary of varnasari village North :Boundary of zazam
16	Rajusra	Santalpur Patan	266	1026.02	625.18	519.01	East : Boundary of Chansara West : Boundary of Santalpur North : Boundary of Par South : G.R.K
17	Amrapur	Sami Patan	295	12848.04	3557.55	9290.49	East: Boundary of badargng village West:Boundary of LRK North:Boundary of vahidpur village South:Boundary of koddha village
18	Taranagar	Sami Patan	291	2854.80	891.20	1963.60	East: Boundary of subapura village West:Boundary of LRK North:Boundary of Subapura village South:Boundary of visnagar village
19	Koddha	Sami Patan	341	6402.84	5143.14	1259.70	East: Boundary of amrapur village West:Boundary of LRK North:Boundary of amrapur village South:Boundary of LRK
20	Subapura	Sami Patan	412	2032.06	772.56	1259.50	East: Boundary of Rajpura and kodadhavillage West:Boundary of Kodadha and LRK North:Boundary of Kunvar village South:Boundary of taranagar South:Boundary of Gadsai village
21	Bismillanj	Radhanpur Patan	55	924.82	501.96	422.86	East: Boundary of pedaspura village West:Boundary of antarnesh village North:Boundary of karsangadh village South:Boundary of gadsai village
22	Atarness	Santalpur Patan	261	12909.87	10228.69	2681.18	East: Boundary of joravgang village West:Boundary of LRK North:Boundary of Chansara village South:Boundary of LRK
			42000.61	21965.44	17969.57		
Details of Surendranagar district area to be declared as Eco-sensitive Zone							
Sr. No	Village	Taluka and district	Total survey no.	Geographical area of village	Area declared as a sanctuary	Area to be included in Eco-sensitive zone	Boundaries
23	Koparni	Dhrangadhra Surendr Nagar	311	1206.49	618.75	587.74	East:Boundary of Kuda village west:Boundary of Enjar village Nouth:north:Boundary of LRK South::Boundary of Enjar village
24	Kuda	Dhrangadhra Surendr Nagar	467	2480.85	972.59	1508.26	East:Boundary of NimaknagarandNarali village West:Boundary of KoparniandEnjar village North:Boundary of LRK South:Boundary of Kankavatiandjasmampur village
25	Nimaknagar	Dhrangadhra Surendr Nagar	77	469.16	246.26	222.9	East:Boundary of Narali village West;Boundary of Kuda village North:Boundary of LRK South:Boundary of Kuda village
26	Jesada	Dhrangadhra Surendr Nagar	576	2428.81	903.67	1525.14	EastBoundary of Malvan village West:Boundary of Narali village North:Boundary of LRK South:Boundary of sajanpurandVirendragadh
27	Narali	Dhrangadhra Surendr Nagar	635	2607.04	1027.03	1580.01	East:Boundary ofJ esda village West:Boundary of NimaknagarandKuda village North:Boundary of LRK

28	Malvan	Dhrangadhra Surendr Nagar	1216	4194.12	823.96	3370.16	South:Boundary of Virendragadh village
							East:Boundary of ThalaandNarali village
							West:Boundary of JesdaandSajjanpur village
							North:Boundary of LRK
29	Thala	Dhrangadhra Surendr Nagar	1454	4094.47	1313.13	2781.34	South:Boundary of vavdi village
							East:Boundary of Sultanpur village
							West:Boundary of malvan village
							North:Boundary of LRK
30	Sultanpur	Dhrangadhra Surendr Nagar	362	1197.32	280.38	916.94	South:Boundary of Bharada village
							East:Boundary of Degam village
							West:Boundary of Thada village
							North:Boundary of LRK
31	Odu	Dhrangadhra Surendr Nagar	937	9277.54	7081.08	2196.46	South:Boundary of bharada village
							East: Boundary of Chikasar and kharaghod village
							West:Boundary of LRK
							North:Boundary of LRK and Mithagoda village
32	Mithaghoda	Dhrangadhra Surendr Nagar	440	1487.74	407.11	1080.63	South:Boundary of LRK
							East: Boundary of mulada and chikasar village
							West:Boundary of LRK
							North:Boundary of LRK and mithaghoda village
33	Nagvada	Dhrangadhra Surendr Nagar	877	4250.46	888.16	3362.30	South:Boundary of mithaghoda village
							East: Boundary of visavadi and jinabad village
							West:Boundary of Zinzuvada village
							North:Boundary of vishavadi and dhama village
34	Zinzuvada	Dhrangadhra Surendr Nagar	785	6281.16	3626.21	2654.95	South:Boundary of nagvadaand LRK
							East:Boundary of DhamaandNagvada
							West:Boundary of LRK
							North:Boundary of FatepurandVachcharajपुरa village
35	Vacharajpur	Dhrangadhra Surendr Nagar	87	787.36	365.96	421.40	South:Boundary of LRK
							East:Boundary of Fatepur village
							West:Boundary of Zinzuvada village
							North:Boundary of Fatepur
36	Fatepur	Dhrangadhra Surendr Nagar	522	1870.64	426.02	1444.62	South:Boundary of zinzuvada village
							East: Boundary of dhama village
							West:Boundary of vachhajrapur village
							North:Boundary of surel village
37	Surel	Dhrangadhra Surendr Nagar	778	4897.64	1510.67	3386.97	South:Boundary of Fatepur village
							East:Boundary of RozvaandNavapur
							West:Boundary of Visnagar village
							North:Boundary of Subapuraand rajपुरal village
38	Visnagar	Dhrangadhra Surendr Nagar	153	1833.82	1225.20	608.62	South:Boundary of LRK village
							East:Boundary of Surel village
							West:Boundary of LRK
							North:Boundary of Taranagar village
Total				49364.62	21716.18	27648.44	


ANNEXURE- IIA

MAP OF WILD ASS SANCTUARY AND ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH PROMINENT LOCATIONS




ANNEXURE- IIB

LANDUSE MAP OF WILD ASS SANCTUARY AND ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE- IIC

GIS MAP OF WILD ASS SANCTUARY AND ECO-SENSITIVE ZONE



ANNEXURE-III

TABLE A: Geo-coordinates of Prominent Locations of Wild Ass Sanctuary

Sr. No.	Identification of Prominent Points	Location/ Direction of Prominent Points	Latitude (DMS Format)	Longitude (DMS Format)
1	1	North	24° 39' 37.481" N	71° 20' 52.965" E
2	2	North	24° 37' 4.441" N	71° 21' 45.703" E
3	3	North	24° 30' 44.105" N	71° 21' 54.623" E
4	4	North	24° 29' 22.903" N	71° 21' 38.035" E
5	5	North	24° 28' 31.000" N	71° 22' 6.832" E
6	6	North	24° 26' 33.302" N	71 20' 55.714" E
7	7	North	24° 26' 22.907" N	71° 20' 57.020" E
8	8	North	24° 24' 21.776" N	71° 21' 22.672" E
9	9	North	24° 24' 17.177" N	71° 23' 48.616" E
10	10	North	24° 23' 44.480" N	71° 23' 24.825" E
11	11	North	24° 18' 59.852" N	71° 20' 55.680" E
12	12	North	24° 9' 45.572" N	71° 17' 24.026" E
13	13	North	24° 6' 3.996" N	71° 19' 37.341" E
14	14	North	24° 5' 15.950" N	71° 19' 27.366" E
15	15	North	24° 4' 30.374" N	71° 19' 12.155" E
16	16	North	24° 3' 19.437" N	71° 18' 34.516" E
17	17	North	24° 2' 36.422" N	71° 19' 47.559" E
18	18	North	24° 0' 53.854" N	71° 19' 14.415" E
19	19	North	24° 0' 14.107" N	71° 20' 52.654" E
20	20	North	23° 59' 2.563" N	71° 19' 16.104" E
21	21	North	23° 56' 54.913" N	71° 18' 23.809" E
22	22	North	23° 55' 29.409" N	71° 19' 16.578" E
23	23	North	23° 54' 52.593" N	71° 17' 27.397" E
24	24	North	23° 54' 16.921" N	71° 16' 36.726" E
25	25	North	23° 53' 51.722" N	71° 14' 2.286" E
26	26	North	23° 51' 15.180" N	71° 11' 15.745" E
27	27	North	23° 46' 2.042" N	71° 11' 45.309" E
28	28	North	23° 45' 26.308" N	71° 15' 14.990" E
29	29	North-East	23° 42' 39.320" N	71° 21' 4.613" E
30	30	North-East	23° 37' 14.469" N	71° 23' 29.653" E
31	31	North-East	23° 32' 1.988" N	71° 35' 54.731" E
32	32	East	23° 18' 27.378" N	71° 44' 1.705" E
33	33	East	23° 9' 55.301" N	71° 43' 27.171" E

34	34	South-East	23° 5' 37.065" N	71° 49' 42.271" E
35	35	South-East	23° 4' 59.488" N	71° 39' 50.744" E
36	36	South	23° 6' 35.196" N	71° 26' 53.595" E
37	37	South	23° 5' 37.457" N	71° 14' 7.725" E
38	38	South	23° 9' 28.279" N	71° 4' 8.686" E
39	39	South-West	23° 5' 46.287" N	70° 49' 54.588" E
40	40	South-West	23° 8' 24.680" N	70° 45' 41.084" E
41	41	South-West	23° 4' 48.878" N	70° 39' 10.479" E
42	42	South-West	22° 59' 19.813" N	70° 33' 24.723" E
43	43	South-West	22° 55' 46.010" N	70° 31' 51.090" E
44	44	South-West	22° 57' 47.878" N	70° 26' 46.978" E
45	45	South-West	23° 13' 10.787" N	70° 42' 41.539" E
46	46	South-West	23° 11' 19.957" N	70° 38' 51.445" E
47	47	South-West	23° 12' 46.039" N	70° 25' 37.391" E
48	48	South-West	23° 13' 23.615" N	70° 12' 30.377" E
49	49	South-West	23° 20' 1.710" N	70° 24' 17.410" E
50	50	South-West	23° 16' 3.045" N	70° 35' 4.547" E
51	51	South-West	23° 17' 2.436" N	70° 42' 59.522" E
52	52	West	23° 24' 58.378" N	70° 46' 33.538" E
53	53	West	23° 22' 3.664" N	70° 58' 38.919" E
54	54	West	23° 29' 50.373" N	70° 58' 57.379" E
55	55	West	23° 34' 47.842" N	70° 53' 22.915" E
56	56	West	23° 39' 48.227" N	70° 46' 41.799" E
57	57	North-West	23° 45' 19.916" N	70° 47' 58.266" E
58	58	North-West	23° 52' 24.691" N	70° 51' 37.259" E
59	59	North-West	23° 44' 13.150" N	70° 54' 25.355" E
60	60	North-West	23° 40' 41.382" N	71° 0' 48.758" E
61	61	North-West	23° 42' 41.215" N	71° 3' 37.690" E
62	62	North-West	23° 48' 17.701" N	71° 2' 13.054" E
63	63	North-West	23° 54' 10.212" N	71° 5' 49.523" E
64	64	North	23° 56' 9.005" N	71° 13' 12.859" E
65	65	North	24° 0' 14.367" N	71° 17' 33.891" E
66	66	North	24° 12' 42.599" N	71° 11' 18.286" E
67	67	North	24° 16' 29.871" N	71° 8' 3.316" E
68	68	North	24° 14' 44.670" N	71° 12' 29.498" E
69	69	North	24° 26' 40.519" N	71° 19' 8.571" E
70	70	North	24° 31' 3.576" N	71° 20' 36.912" E

TABLE A: Geo-coordinates of Prominent Locations of Eco-Sensitive Zone

S. No.	Identification of Prominent Points	Location/ Direction of Prominent point	Latitude (North) (DMS Format)	Longitude (East) (DMS Format)
1	1	North	23° 57' 30.561" N	71° 18' 16.789" E
2	2	North	23° 56' 12.588" N	71° 20' 16.879" E
3	3	North	23° 45' 52.148" N	71° 14' 55.535" E
4	4	North-East	23° 40' 23.515" N	71° 21' 31.208" E
5	5	North-East	23° 39' 52.938" N	71° 24' 23.427" E
6	6	North-East	23° 35' 58.685" N	71° 28' 45.480" E
7	7	East	23° 31' 54.160" N	71° 36' 10.172" E
8	8	East	23° 26' 11.060" N	71° 37' 43.985" E
9	9	East	23° 22' 6.385" N	71° 42' 28.992" E
10	10	East	23° 19' 4.519" N	71° 45' 26.240" E
11	11	South-East	23° 12' 29.447" N	71° 43' 58.699" E
12	12	South-East	23° 5' 36.216" N	71° 37' 12.407" E
13	13	South-East	23° 3' 31.386" N	71° 31' 55.827" E
14	14	South	23° 6' 29.887" N	71° 28' 21.943" E
15	15	South	23° 5' 29.792" N	71° 24' 26.610" E
16	16	South	23° 4' 33.070" N	71° 13' 17.648" E
17	17	South	23° 5' 47.450" N	71° 4' 29.763" E
18	18	South-West	23° 7' 5.768" N	70° 55' 36.277" E
19	19	South-West	23° 6' 13.440" N	70° 48' 0.396" E

ANNEXURE-IV**LIST OF VILLAGES AND GLOBAL POSITIONING SYSTEM POINT IN ECO-SENSITIVE ZONE OF WILD ASS SANCTUARY GUJARAT**

S. No.	Village Name	Tehsil/ Taluka	District	Latitude (North) (DMS Format)	Longitude (East) (DMS Format)
1	Nanda	Rapar	Kachchh	23°33'39.839" N	71° 6' 25.805" E
2	Rajusara	Santhal pur	Patan	23°45' 8.115" N	71°14' 8.084" E
3	Koddha	Sami	Patan	23°33' 8.075" N	71°29' 59.206" E
4	Subapura	Sami	Patan	23°31'38.412" N	71° 35' 40.241" E
5	Taranagar	Sami	Patan	23°31' 2.984" N	71°34' 15.877" E
6	Bisamilla ganj	Radhan pur	Patan	2°39' 21.992" N	71°24' 3.010" E
7	Antarnes	Santhal pur	Patan	23°41'52.090" N	71°18' 57.202" E

8	Zazam	Santhal pur	Patan	23°56'34.033" N	71°20' 4.842" E
9	Amrapur	Sami	Patan	23°35'42.144" N	71° 27' 6.004" E
10	Venasar	Maliya	Morbi	23°9' 13.379" N	70° 55' 20.750" E
11	Mandarki	Maliya	Morbi	23°9' 6.086" N	70°59' 13.230" E
12	Kajarda	Maliya	Morbi	23° 7' 11.312" N	70°48' 14.325" E
13	Chikhli	Maliya	Morbi	23°6' 15.665" N	70°52' 4.312" E
14	Ajitgadh	Halvad	Morbi	23°8' 19.537" N	71°7' 41.756" E
15	Khod	Halvad	Morbi	23°9' 6.432" N	71°9' 6.287" E
16	Enjar	Halvad	Morbi	23° 8' 30.630" N	71° 17' 31.848" E
17	Jogad	Halvad	Morbi	23° 9' 19.259" N	71° 12' 33.081" E
18	Kidi	Halvad	Morbi	23°7' 31.958" N	71°12' 27.365" E
19	Malaniyad	Halvad	Morbi	23°7' 12.769" N	71° 15' 37.834" E
20	Mangadh	Halvad	Morbi	23° 9' 20.799" N	71° 7' 4.260" E
21	Tikar	Halvad	Morbi	23° 8' 17.257" N	71° 6' 2.520" E
22	Nava ghatila	Halvad	Morbi	23°9' 6.914" N	71° 3' 51.706" E
23	Jesada	Dhrangadhra	Surendranagar	23°6' 42.579" N	71° 28' 14.524" E
24	Koparani	Dhrangadhra	Surendranagar	23° 9' 22.878" N	71°19' 33.601" E
25	Kuda	Dhrangadhra	Surendranagar	23°8' 9.994" N	71°22' 55.670" E
26	Malvan	Dhrangadhra	Surendranagar	23° 5' 36.492" N	71°31' 53.923" E
27	Narali	Dhrangadhra	Surendranagar	23° 6' 46.886" N	71° 25' 19.550" E
28	Nimaknaga r	Dhrangadhra	Surendranagar	23° 8' 19.585" N	71°23' 49.880" E
29	Sultanpur	Dhrangadhra	Surendranagar	23° 7' 38.211" N	71°36' 12.736" E
30	Thala	Dhrangadhra	Surendranagar	23°6' 16.591" N	71° 33' 55.418" E
31	Fatepur	Dasada	Surendranagar	23° 24' 7.525" N	71°37' 48.441" E
32	Mithaghod a	Dasada	Surendranagar	23°16'19.710" N	71° 42' 20.115" E
33	Odu	Dasada	Surendranagar	23°13'50.521" N	71° 41' 40.418" E
34	Vachharaj pura	Dasada	Surendranagar	23°23'16.957" N	71° 36' 2.370" E
35	Visnagar	Dasada	Surendranagar	23°27'54.618" N	71°34' 0.607" E
36	Surel	Dasada	Surendranagar	23°28'45.536" N	71°37' 8.434" E
37	Zinzuwada	Dasada	Surendranagar	23°21'11.922" N	71°39' 13.053" E
38	Nagvada	Dasada	Surendranagar	23°19'35.085" N	71°42' 41.410" E

Annexure –V**Eco-Sensitive Zone Monitoring Committee - Performa of Action Taken Report: -**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.
Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.